न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।

C.N.R. No. : UPAU010000932004

सत्र परीक्षण संख्या : 152/2006 ; राज्य बनाम रमेश चन्द्र आदि ।

मुकदमा अपराध संख्या : 87/2004 ; धारा : 308, 323, 324, 504, 506 I.P.C.

थाना : अजीतमल । ; जिला : औरैया ।

24-04-2026 - Sports meet holiday- declared by Hon'ble High Court

25-04-2026 - Sports meet holiday- declared by Hon'ble High Court

26-04-2026 - Sunday

27-04-2026

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर अभियुक्तगण (1.) रमेश चंद्र (2.) जितेंद्र व (3.) नरेंद्र की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए । तीनो अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिरी-माफी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो आज के लिए स्वीकार किया गया ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 95 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "...उपरोक्त स्पेशल केस में प्रार्थी का समझौता वादी पक्ष से हो गया था । इसके बाबत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एप्लीकेशन संख्या 528 BNSS 5164/26 रमेश चंद्र आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि', दायर की जिसमे दिनांक 23-03-2026 को आदेश पारित हो गया था जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है जो सत्य है । कोई हेराफेरी नही की गई है । प्रार्थी पूर्णतः जुम्मेवार है । अतः प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एप्लीकेशन संख्या 528 अंतर्गत धारा 528 BNSS नंबर 5164/2026 में पारित आदेश दिनांकित 23-03-2026 के अनुसार उपरोक्त वाद निर्णीत करने की कृपा करें । अति कृपा होगी ।"

इस प्रार्थना-पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23-03-2026 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गई है जो कंप्यूटर अनुभाग जनपद औरैया से प्रमाणित है ।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

दिनांक 21-11-2006 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश औरैया द्वारा अभियुक्तगण (1.) रमेश चंद्र (2.) जितेंद्र एवं (3.) नरेंद्र के विरुद्ध अपराध धारा 308/34, 323/34, 324/34, 504, 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित किया गया था और पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई थी । तत्पश्चात अभियोजन की ओर से साक्षी pw1 अशफाक खान पुत्र नवाब खान को न्यायालय में पेश व परीक्षित कराया गया । तत्पश्चात अभियुक्तगण (1.) रमेश चंद्र पुत्र सूबेदार (2.) जितेंद्र पुत्र रमेश चंद्र तथा (3.) नरेंद्र कुमार पुत्र रमेश चंद्र और अभियोजन पक्ष के वादी-मुकदमा अशफाक खान पुत्र नवाब खान (वादी एवं चोटिल) तथा चमन खान पुत्र नवाब खान (चोटिल) द्वारा एक संयुक्त समझौता पत्र 79 ख दिनांकित 29-04-2025 पत्रावली पर दाखिल किया गया जिस पर उपरोक्त सभी व्यक्तियों के रंगीन

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.04.27 16:45:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फोटोग्राफ चस्पा किए गए जो उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रमाणित भी किए गए । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17–09–2025 को यह समझौता–पत्र तस्दीक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र 87 क वास्ते समझौता सत्यापित करने प्रस्तुत किया गया जिसे उपरोक्त सभी व्यक्तियों व उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया गया । इसके संदर्भ में तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 औरैया द्वारा दिनांक 07–10–2025 को टाइपशुदा ऑर्डर शीट तैयार की गई जिसमे उक्त संधि–पत्र को सत्यापित किए जाने का कथन उल्लिखित करते हुए इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित की गई ।

आज अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश (Latest Order) दिनांकित 23–03–2026 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गई है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्त मे यह आदेश पारित किया गया है कि :–"...In light of the amicable settlement and the complainant's unequivocal consent, as evidenced by the Interlocutory Application, this Court finds it appropriate to allow the present M.A. While the offense under Section 326 IPC is non– compoundable under the provisions of the Criminal Procedure Code. 1973 the exceptional circumstances of this case, including the voluntary settlement between the parties, warrant the exercise of this Court's Inherent powers to give effect to the compromise."

In view of the aforesaid facts and circumstances, entire proceedings of Sessions Trial No. 152 of 2006, arising out of Case Crime No.87 of 2004, under Section 323 324, 308, 504, 506 IPC, P.S. Ajitmal, District Auraiya, pending in the court of learned Additional District and Sessions Judge, Auraiya, is hereby set aside.

Accordingly, the instant application is allowed."

इस तरह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे की कार्यवाही इस स्तर पर स्वयं समाप्त कर दी गई है जिस कारण इस मुकदमे में अब अन्य और कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा नही की जानी है और न ही कोई अग्रिम तिथि नियत की जानी है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन मे, इस मुकदमे की कार्यवाही समाप्त हो जाने के कारण, यह पत्रावली अब नियमानुसार दाखिल–अभिलेखागार किया जाना आवश्यक होगा ।

अतः कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्रावली नियमानुसार दाखिल–अभिलेखागार की जाये ।

(महेश कुमार)
ASJ–2
{ID No. U.P. 6484}

"सत्र परीक्षण वाद संख्या 152/2006 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश चन्द्र आदि ।"